

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी/मुकाम बिजौलिया
 न-हॉटल/बनाम अमिया
 सम मुकदमा 136 RTA नं. 158/23

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

4/6/2025 प्रावली पेश हुः एक वादी/प्रतिवादी
 उपस्थित श्रीमान हुः दोरे पर हैं। प्रावली
 दिनांक 16/7/2025 को गस्त साक्षात्की होः
 उपखण्ड अधिकारी

16/7/25 प्रावली पेश हुः प्रावली में सा-ब
 नंद की जमीं ही प्रावली गस्ते निरि
 बहल भगामी दिने 22/7/25 को पेश
 हुः
 उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

22/7/25 प्रावली पेश हुः प्रावली को स्व-
 क्रिया गया। प्रावली में विस्तृत निरि
 पुष्ट से लिखवाए गए, एव खुले न्या-
 में सुजाए गए। प्रावली गम्बर से क
 होकर, दाखिल दस्तर हो।
 उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रयालय उपखण्ड अधिकारी विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठसीन अधिकारी :- अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :- 158 / 2023

दायर तारीख 03.07.2023

अनवादन

बनारस जिला भीलवाड़ा (राज0)।

पिता धन्ना जाति बंजारा उम्र 45 वर्ष निवासी फाहानगर हल मुकाम जलेशी बंजारा

बनाम

..... प्रार्थी

जन्मस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार विजौलियाँ तहसील विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
..... विपक्षी

उपस्थित :- श्री सुनील कुमार जोशी - अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

:- निर्णय :-

दिनांक : 22/07/2025

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा ग्राम नयानगर पटवार हल्का सलावटियां की सरहद में वादी की खातेदारी कब्जेशुदा आराजीयात खाता संख्या 93 पर अंकित आराजी संख्या 1064/453 रकबा 1.1736 हैक्टयर कुल किता 1 रकबा 1.1736 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित है जो किसना पिता धन्ना बंजारा के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त आराजीयात प्रार्थी को विरासत से नामान्तरकरण के आधार पर प्राप्त हुयी प्रार्थी के पिताजी धन्ना पिता जसा बंजारा की मृत्यु के बाद विरासत से हुये नामान्तरण ई नं. 473/24.09.84 से गलत इन्द्राज से किशाना पिता धन्ना बंजारा हो गया जबकि कन्हैयालाल पिता धन्ना बंजारा होना चाहिये था। तब से ही त्रुटि चली आ रही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर खाता संख्या 93 पर अंकित आरा संख्या 1064/453 रकबा 1.1736 हैक्टयर कुल किता 1 रकबा 1.1736 हैक्टयर भूमि में लिपिकीय को सुधार कर प्रार्थी का नाम किशाना बंजारा के स्थान पर कन्हैयालाल बंजारा राजस्व रेकॉर्ड में किये जाने का आदेश दिलाना फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय प्रार्थना भेज करवायी गई।

प्रकरण में तहसीलदार विजौलियाँ से रिपोर्ट ली गयी। जो शामिल पत्रावली है।



उप खण्ड अधिकारी
विजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

तहसीलदार बिजौलियां ने पत्रांक/राजस्व/2024/1206 दिनांक 07.08.2024 की रिपोर्ट में किया कि धन्ना पिता जरसा बंजारा की विशरात का नामान्तरण संख्या 473 दर्ज होकर ग्राम द्वारा स्वीकार किया गया जिसमें किशना पिता धन्ना बंजारा का नाम भी अंकित है। धन्ना की वर्ष 1984 से ही किशना पिता धन्ना नाम राजस्व रेकॉर्ड में चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा स्वयं पत्र, आधारकार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत की हैं। ग्राम पंचायत नयानगर द्वारा जारी प्रमाण पत्र 15.07.2022 संलग्न किया है जिसके अनुसार कन्हैयालाल बंजारा व किशना बंजारा दोनों एक व्यक्ति होना अंकित किया है। रिपोर्ट संलग्न हैं।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ मौजा ग्राम जलेरी बंजारान पटवार हल्का नयानगर नकल जमाबन्दी संवत 2076-2079, नामान्तरकरण आदेश जिसे सही करवाना है, आधार कार्ड की ग्राम पंचायत नयानगर के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की हैं।

अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस दौरान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का नाम किशना बंजारा के स्थान पर कन्हैयालाल बंजारा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराना चाहा है।

अतः तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट, मौजा ग्राम जलेरी बंजारान पटवार हल्का नयानगर की नकल जमाबन्दी संवत 2076-2079, नामान्तरकरण आदेश, आधार कार्ड की प्रति, ग्राम पंचायत नयानगर के प्रमाण पत्र की प्रति के आधार पर प्रार्थी का नाम किशना बंजारा के स्थान पर कन्हैयालाल बंजारा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित है।

—: आदेश :-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर मौजा नयानगर पटवार हल्का सलावटियां स्थित खाता संख्या 93 पर अंकित आराजी संख्या 1064/453 कबा 1.1736 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 1.1736 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम किशना बंजारा के स्थान पर कन्हैयालाल बंजारा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22/07/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां